न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—207 / 2013 / 223 (2013 / 00082)

1. किशनसिंह पुत्र हुकमसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम बलाड़, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती जड़ाव पुत्री भीमा, जाति रावत, नि0 ग्राम खोखरी मोडियाना की ढाणी, तह0 रायपुर, जिला पाली ।
2. श्रीमती कमला पत्नि चन्द्रसिंह, जाति रावत, निवासी गांव मुण्डौती, तह0 मसूदा, जिला अजमेर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर, जिला अजमेर ।
4. उप पंजीयक, ब्यावर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर दिनांक 18.12.2012 अंतर्गत वाद संख्या 21 / 2007.

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांट।
2. श्री ईश्वर देवड़ा, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 3 व 4

निर्णय

दिनांकः— 18.9.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी / अपीलांट ने अधी0न्याया0 में वाद वास्ते उद्घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा तथा धारा 136 राज0भू—राजस्व अधि0 1956 के तहत प्रतिवादीगण / रेस्पो0 एवं राज्य सरकार के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रूपाहेली बलाड़, तह0 ब्यावर में स्थित खसरा नंबर साबिक 53 हाल 66 रकबा 4—12—00 बीघा के रिकार्डेड खातेदार मिट्ठू व देवा पुत्रान भीमा तथा श्रीमती हंजा पत्नि भीमा थे । उक्त खातेदारान से वादी ने दिनांक 29.5. 1975 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र विवादित आराजियात क्रय कर कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया तब से वादी उक्त आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है । पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामांतकरण

हेतु वादी के नाम तस्दीक करने हेतु वादी द्वारा तत्समय ही प्रार्थना पत्र पेश किया गया । विक्रेता द्वारा कभी भी वादी के कब्जे काश्त में दखल नहीं किया गया लीकिन ट्रेक्टर लेने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिये पंजीकृत विक्रय पत्र लेकर तो वादी को ज्ञात हुआ कि प्रतिवादिया संख्या 1 ने बिना बिना अधिकार राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगती कर जरिये नामांतकरण संख्या 143 दिनांक 20.4.2004 को अपना नाम दर्ज करवा लिया है जबकि विगत 32 वर्षो से वादी विक्रय पत्र के आधार पर आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है । अतः वाद स्वीकार कर वादी को विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.2012 द्वारा वादी का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंटस उपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । अधी0न्याया0. दिनांक 12.4.2012 को तनकियात कायम करने के बाद आगामी पेशी दिनांक 22.5.2012 को नियत की किन्तु उक्त दिनांक को कार्य स्थगित रहने से आगामी तारीख दिनांक 31.7.2012 को नियत की गई जब वादी साक्ष्य हेतु प्रथम बाद आया, तब ही शहादत वादी हेतु अंतिम अवसर प्रदान कर दिया तत्पश्चात् दिनांक 28.7.2012 को पीठासीन अधिकारी दीगर कार्य में व्यस्त रहे एवं आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.12.2012 को नियत की गई किन्तु उक्त तारीख पेशी पर भी पीठासीन अधिकारी मीटिंग में जाने से आगामी पेशी दिनांक 30.10.2012 को इस हिदायत के साथ अवसर दिया कि आगामी पेशी पर शहदात प्रस्तुत नहीं करने पर शहादत वादी बंद हो जावेगी । तत्पश्चात् आगामी पेशी दिनांक 18.12. 2012 को शहादत वादी हेतु अंतिम अवसर देने अथवा कोस्ट पर शहादत वादी प्रदान करने के बजाय वाद पत्र ही अदम तकमील में निरस्त कर दिया । बहस में आगे कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वादी की जरिये पंजीकृत विग्रय पत्र क्रयशुदा भूमि है जिस पर वादी क्रय दिनांक 29.5. 1975 से काबिज काश्त चला आ रहा है । प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के हक में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 4.1.2007 का होकर पश्चात्वर्ती विक्रय पत्र है जो वादी के हक, अधिकारों पर बातिल व बेअससर होकर प्रारंभ से शून्य है । इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू को नजरअंदाज कर अधी0न्याया0 ने वादी को न्याय से वंचित करने के इरादे से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । वादी ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद को पुनः नंबर पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 9.1.2013 को पेश किया था जिसे अधी0न्याया0 ने गैर कानूनी रूप से निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 ने वाद को गुणावगुण पर निर्णित न कर केवल मात्र तकनीकी आधार पर निरस्त किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे तथा वादी के वाद को पुनः नंबर पर लेकर गुणावगुण पर निर्णित किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 1979 पेज 1 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्राथना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 18.12.2012 को निर्णय पारित करने के पश्चात् वादी द्वारा दिनांक 9.1.2013 को वाद रेस्टोर करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसे अधी0न्याया0 ने उसी

दिन निरस्त कर दिया जिसके विरूद्ध नजरसानी याचिका प्रस्तुत की गर्ठ जो दिनांक 22.4.2013 को निरस्त कर दी गई तत्पश्चात् वादी के अभिभाषक श्री चन्द्रदेव सांखला द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की सलाह दिये जाने पर दिनांक 3.6.2013 को अजमेर आकर अधिवक्ता से संपर्क कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । वादी द्वारा प्रस्तुत वाद वर्जित होने से हाजा न्यायालय को वाद सुनवाई का क्षैत्राधिकार नहीं है। वादी ने अपने पूर्व वाद में जगह–जगह प्रतिवादी संख्या 1 को मिठू व देवा की बहिन और श्रीमती हंजा की पुत्री होना दर्शाया है जो सही है तथा साथ ही वादी ने अपने वाद में यह भी दर्शाया है कि बरोज बेचाननामा वर्ष 1975 में प्रतिवादी संख्या 1 जीवित रहते हुए ससुराल में रह रही थी । वादी के कथन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 का बरोज बेचाननामा भूमि में 1/4 हिस्सा रहा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 बेचाननामा की भूमि की सहखातेदार रही है । ऐसी स्थिति में वादी ने बेचाननामा मिठू, देवा, हंजा से पूरे हिस्से की जमीन को खरीद किया है जिससे भी उक्त विक्रय पत्र कानूनन निरस्तनीय है । वादी ने अपने वाद में वर्ष 2004 में भरे गये नामांतकरण को निरस्त करने का निवेदन किया है जबकि नामांतकरण के विरूद्ध अपील सुनने का क्षैत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है । वादी ने वर्ष 2007 के दस्तावेज को शून्य व व्यर्थ बताया है तथा अनुतोष में भी बेचाननामा जो प्रतिवादी संख्या 2 के हक में हुआ है को शून्य प्रभावी घोषित करने का अनुतोष चाहा है । उक्त अनुतोष हेतु राजस्व न्यायालय को क्षैत्राधिकार नहीं है । बहस में आगे कथन किया कि वाद वर्णित दस्तावेज वर्ष 1975 का जाली दस्तावेज है क्योंकि वादी न तो वर्ष 1975 से पूर्व एवं न ही बाद में आज दिवस तक कभी भी गांव बलाड़ का निवासी नहीं रहा है । वर्ष 1975 में विवादित आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा कानूनन रहा है जिसे बेचान किये जाने का कानूनन हक न तो स्व0 मिठू को था न ही हंजा एवं देवा को ही था । विवादित आराजी पर प्रतिवादी का कब्जा लगातार चला आ रहा है । वादी का विक्रय पत्र फर्जी है जिस पर देवा, मिठू, श्रीमती हंजा की अंगूठा निशानी फर्जी है । वादी ने इतने वर्षो तक विक्रय पत्र के आधार पर नामांतकरण की कार्यवाही क्यों नहीं की । बहस में आगे कथन किया कि वादी को शहादत हेतु कई अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद वादी द्वारा शहादत पेश नहीं की गई जो अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेशों का स्पष्टतया उल्लघंन है । अधी0न्याया0 द्वारा हिदायत दिये जाने के बावजूद शहादत वादी पेश नहीं किये जाने पर अधी0न्याया0 ने वादी का वाद अदम तकमील में खारिज किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी/अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 में वाद दिनांक 15.3.2007 को पेश किये जाने पर अधी0न्याया0 ने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी करने के आदेश पारित किए।

दिनांक 26.4.2002 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अभिभाषक श्री नन्दकिशोर मिश्रा, अधिवक्ता ने पॉवर पेश किया एवं प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश किया तथा पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 एवं पेश करने जवाबदावा दिनांक 14.5.2007 आगामी पेशी नियत की गई । नियत दिनांक 14.5.2007 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जवाबदावा पेश किया जिसकी प्रति वादी को दी गई । इसके उपरांत प्रकरण में लगभग 12 पेशियों तक प्रकरण में तारीख तब्दील की जाती रही । दिनांक 11.3.2008 को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पर उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 खारिज किया गया । इसके उपरांत पत्रावली लगभग 17 पेशियों तक प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के जवाब में विचाराधीन रही एवं दिनांक 4.5.2010 को प्रतिवादीगण द्वारा जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस करने का निवेदन किया गया । दिनांक 24.6.2010 को पत्रावली वास्ते तनकियात कायमी हेतु दिनांक 27.4.2010 नियत की गई। इसके उपरांत पत्रावली लगभग 14 पेशियों तक वास्ते तनकियात कायमी हेतु विचाराधीन रही तथा दिनांक 12.4.2012 को वाद में तनकियात कायम की गई तथा पत्रावली वास्ते शहादत वादी दिनांक 22.5.2012 नियत की गई । इसके उपरांत दिनांक 22.5.2012 को पत्रावली तारीख तब्दील की जाकर दिनांक 31.7.2012 नियत की गई एवं दिनांक 31.7.2012 को वादी द्वारा शहादत पेश नहीं किये जाने से प्रथम पेशी पर ही अंतिम अवसर दिये जाने के आदेश पारित किये है । तत्पश्चात् दो पेशियों पर प्रकरण में तारीख तब्दील की जाकर दिनांक 30.10.2012 को पुनः वादी को शहादत हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के आदेश पारित कर पत्रावली दिनांक 18.12.2012 को नियत की गई है । दिनांक 18.12.2012 की आदेशिका के अनुसार वादी को शहादत हेतु पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये जा चुके है । अतः वादी द्वारा शहादत पेश नहीं किये जाने से वाद अदम तकमील में खारिज किया जाता है । अधी0न्याया0 के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट/वादी ने अधी0न्याया0 में प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 5 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश किया जिसे अधी0न्याया0 ने दिनांक 9.1. 2013 को निरस्त कर दिया । आदेश दिनांक 9.1.2013 के विरूद्ध अपीलांट/वादी ने अधी0न्याया0 में रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे भी अधी0न्याया0 ने दिनांक 22.4.2013 को खारिज कर दिया ।

9. अधी0न्याया0 की उपरोक्त आदेशिकाओं के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा वादी/अपीलांट को शहादत हेतु पर्याप्त अवसर नहीं दिये गये है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 जा0दी0 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश होने पर अधी0न्याया0 वादी को न्यायहित में कोस्ट पर शहादत हेतु अवसर देना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने वाद को गुणावगुण पर निर्णित न कर केवल मात्र तकनीकी आधार पर निर्णित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां पक्षकारान के हित निहित हो वहां प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वाद में वादी द्वारा जवाबदावा पेश हो चुका था तथा वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर तनकियात भी कायम की जा चुकी थी । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 को पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वाद को तनकीवार गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने वाद को अदम तकमील में खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय अपास्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

10. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.12.2012 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट/वादी को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को तनकीवार निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 18.9.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर